न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनियां) आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 09/2017 जी0सी0एम0एस0 सं0 2017/00708

1. रतनसिंह पुत्र रामगोपाल जाति राजपुत निवासी देवलियांकला तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. सुरेद्र सिंह पुत्र रामगोपाल जाति राजपुत निवासी देवलियांकला तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. गरवर कंवर पुत्री रामगोपाल जाति राजपुत निवासी देवलियांकला तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. दुर्गालाल पुत्र रामदेव जाति कीर निवासी देवलियांकला तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. फूमा पत्नि छीतरलाल जाति कीर निवासी देवलियांकला तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. प्रहलाद पुत्र छीतरलाल जाति कीर निवासी देवलियांकला तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. काली देवी पत्नि स्व0 रामस्वरूप जाति कीर निवासी देवलियांकला तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. खानी पुत्री स्व0 रामस्वरूप जाति कीर निवासी देवलियांकला तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. कमलेश पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति कीर निवासी देवलियांकला तहसील भिनाय जिला अजमेर
7. लाडू पुत्री छीतरलाल जाति कीर निवासी देवलियांकला तहसील भिनाय जिला अजमेर
8. लाली पत्नि कालू जाति कीर निवासी देवलियांकला तहसील भिनाय जिला अजमेर
9. मन्जू पत्नि दुर्गालाल जाति कीर निवासी देवलियांकला तहसील भिनाय जिला अजमेर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज.)

अप्रार्थीगण

उपस्थितः– श्री धर्मवीर बामनियां अधिवक्ता प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 23.04.2025

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम देवलियांकलां पटवार हल्का देवलियांकलां, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवलियांकलां तहसील भिनाय स्थित खातेदारी भूमि खसरा सख्या 1865 रकबा 0.28 हैक्ट प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात है। प्रार्थीया की खातेदारी आराजी में आने–जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने–ले जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 के खातेदारी खसरा सख्या 1868 रकबा 0.32 हैक्ट0 किस्म चाही 1 व अप्रार्थीगण संख्या 08 तथा 09 के खातेदारी खसरा संख्या 1867 रकबा 0.16 हैक्ट किस्म नहरी 1 का वर्षो से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें है जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थीया को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। जिसे अप्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में अवरूद्ध कर प्रार्थीया को अनावयश्क परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थीया की भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से 20 फीट चौड़ा रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। नोटिस तामीली बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होने के परिणाम स्वरूप अप्रार्थी सं. 01 लगायत 08 एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में अप्रार्थी श्री रामस्वरूप पुत्र छीतरलाल के फौत होने से वकील प्रार्थी द्वारा मृतक रामस्वरूप के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने बाबत् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया गया। साथ ही पत्रावली में लाली पत्नि कालू तथा मन्जू पत्नि दुर्गालाल को बतौर अप्रार्थीगण संयोजित करने बाबत् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया गया। उक्त दोनो प्रार्थना–पत्र अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किये जाकर पत्रावली में मृतक रामस्वरूप के वारिसान काली, खानी और कमलेश को पक्षकार बनाया गया साथ ही लाली तथा मन्जू को पक्षकार संयोजित किया गया। पैरोंकार सरकार द्वारा तहसीलदार भिनाय की और से प्रकरण में जवाब मय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें, अप्रार्थीगण संख्या 08 व 09 की खातेदारी खसरा संख्या 1867 तथा अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 07 की खातेदारी खसरा संख्या 1868 में से 1.5 मीटर लम्बा तथा 65 मीटर लम्बा(प्रत्येक खसरे में से), भूमि के संबंध में, तहसीलदार भिनाय द्वारा रिपोर्ट मय जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गई। जवाब मय मौका रिपोर्ट की एक प्रति वकील प्रार्थी को दिलवायी गई। तहसीलदार भिनाय से प्राप्त मौका रिपोर्ट में अवगत कराया है कि प्रार्थी के खेतों में जाने बाबत् कोई रास्ता नहीं हैं तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग अत्यन्त आवश्यक तथा निकटतम दूरी का मार्ग है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार भिनाय से प्राप्त जवाब मय मौका रिपोर्ट पर सहमति प्रकट की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 09 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने तथा जवाब सरकार प्राप्त होने से पत्रावली वास्ते बहस नियम की गई।

पत्रावली में बहस पक्षकार सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता दिये जाने बाबत् निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि ग्राम देवलियांकलां पटवार हल्का देवलियांकलां, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवलियांकलां तहसील भिनाय स्थित खातेदारी भूमि खसरा सख्या 1865 रकबा 0.28 हैक्ट प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने–जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने–ले जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 के खातेदारी खसरा सख्या 1868 रकबा 0.32 हैक्ट0 किस्म चाही 1 व अप्रार्थीगण संख्या 08 तथा 09 के खातेदारी खसरा संख्या 1867 रकबा 0.16 हैक्ट किस्म नहरी 1 का वर्षों से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें है जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थीया को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। जिसे अप्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में अवरूद्ध कर प्रार्थीया को अनावयश्क परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थीया की भूमि पर आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CS CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाया जावे। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब मय मौका रिपोर्ट के अनुसार कथन किये गये निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम दूरी का रास्ता है तथा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। साथ ही पैरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस कथन किये कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि जाने हेतु रास्ता खसरा नं 1868 व 1867 के मध्य से होकर ही जाता है। जिसकी डी.एल.सी. दर 335700/– रू. प्रति हैक्टेयर बताई गई हैं। उभय पक्षकारों को सुना गया। तहसीलदार भिनाय की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि, प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी में आने–जाने के लिए मांगा गया रास्ता सबसे निकटतम है, तथा इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तहसीलदार भिनाय द्वारा, प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता उपयुक्त तथा अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं होना स्वीकार किया। अतः बाद अवलोकन तथा मनन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251ए अनुतोष होने से स्वीकार किया जाता है। चूंकि तहसीलदार भिनाय ने अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम दूरी का रास्ता है तथा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिये निर्धारित नियमानुसार रास्ते हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि की दौगुनी लागत कायम करना ही उपयुक्त एवं न्यायोचित पाया जाता है। अतः खसरा नं. 1867 में से 97.50 वर्गमीटर (65 मीटर लम्बा व 1.5 मीटर चौडा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 33.57 रू प्रति वर्गमीटर राशि (दौगुनी) 6548/– रू. एवं खसरा नं. 1868 में से 97.50 वर्गमीटर (65 मीटर लम्बा व 1.5 मीटर चौडा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 33.57 रु. प्रति वर्गमीटर राशि (दौगुनी) 6548/– रू. अर्थात कुल राशि 13096/– रू. (अक्षरे तैरह हजार छियानवे रूपये मात्र) मुकर्रर की जाती है। तहसीलदार भिनाय को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण को अपने–अपने हिस्से अनुसार मुकर्रर राशि, प्रार्थी से दिलवाई जाकर रसीद प्राप्त की जावे। प्रार्थीगणों खातेदार के लिये ग्राम देवलियांकलां पटवार हल्का देवलियांकलां, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवलियांकलां तहसील भिनाय स्थित खातेदारी खसरा नं. 1667 में से 97.50 वर्ग मीटर और खातेदारी खसरा नं. 1668 में से 97.50 वर्गमीटर भूमि से प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1865 तक रास्ता/मार्गाधिकार कायम किये जाने के आदेश पारित किए जाते है। तहसीलदार भिनाय को उनके राजस्व नक्शें में आदेश में वर्णित रास्ते की नियमानुसार तरमीम कर इस खसरा नं. का बट्टा नंबर कायम कर खाते सरकार किस्म रास्ते से लगाने के आदेश पारित किए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर) सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CamScanner